न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली स्थित कैराना।

उपस्थितः—**इन्द्र प्रीत सिंह जोश, उच्चतर न्यायिक सेवा।**

(**J-O- Code- UP 1894**)

सत्र परिक्षण सं0—**127 / 2024**

राज्य ..... अभियोजन पक्ष,

बनाम

1. विपिन पुत्र राजेश, | **समस्त निवासीगण गांव इस्लामपुर घसौली,**
2. राहुल पुत्र सलेकचन्द | **थाना कांधला,**
3. मनीष पुत्र सलेकचन्द | **जिला शामली ।**
4. राहुल पुत्र अमरा उर्फ सतपाल |
5. जोनी उर्फ अजय पुत्र अमरा उर्फ सतपाल |
6. सुशील पुत्र जयसिंह |
7. रजनीश पुत्र अमरनाथ | **..... अभियुक्तगण,**

मु0अ0सं0—104 / 2016,
धारा 147,148,307 / 149,323 / 149,452,506 भा0द0सं0
थाना—कांधला, जिला शामली।

राज्य—**श्री संजय चौहान**, **जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक,**
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण—**श्री अफसर अली,**

निर्णय

1. अभियुक्तगण विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचन्द, राहुल व जोनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल, सुशील पुत्र जयसिंह एवं रजनीश पुत्र अमरनाथ का विचारण इस न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण सं0 127 / 2024 के मामले में धारा 147,148,149,307,323,452,506 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए किया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त कथन इस प्रकार हैं कि प्रार्थी / वादी मुकदमा अंकित पुत्र श्रीपाल द्वारा दिनांक 21.02.2016 को थाना कांधला में इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 21.02.2016 को समय लगभग 07.00 बजे सायं वादी मुकदमा प्रधान पति राजीव के साथ अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी गाँव के ही शिवलाल, देवीचन्द, विपिन, रजनीश, राहुल पुत्र सलेक, नवनीत, मनीष, राहुल पुत्र अमरा, जोनी, सुशील आदि जो अपने हाथों में धारदार हथियार लिये हुए थे, अचानक उसके घर पर आकर जान से मारने का प्रयास करते हुए तमन्चे से गोली चला दी। वादी मुकदमा व राजीव ने किसी तरह से वहाँ से भागकर अपनी जान बचायी और अपने घर के दरवाजे बन्द कर लिये, तब उक्त लोगों ने वादी मुकदमा व उसके घरवालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करते हुए वहां मौजूद अजय व राजपाल पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर जब गाँववाले वहाँ पहुंचे तो उक्त सभी लोग वादी मुकदमा व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गये। शिवलाल व देवीचन्द गाँव के दबंग व्यक्ति है और गाँव में रोज गुण्डागर्दी करते रहते हैं। पूर्व में भी दिनाक 20.02.2016 को वादी मुकदमा के साथ शिवलाल व देवीचन्द ने मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट वादी मुकदमा ने थाने पर दी हुई है। अतः उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाये।

INDERPREET JOSH
Digitally signed by INDERPREET JOSH
Date: 2026.06.25 10:41:57 +01'00'

3. दिनांक 21.02.2016 को ही समय 21:45 बजे उक्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 104/2016, थाना कांधला पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचन्द, राहुल व जोनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल, सुशील पुत्र जयसिंह एवं रजनीश पुत्र अमरनाथ के विरूद्ध धारा 147,148,149, 307,323,452,506 भा.द.सं. के अन्तर्गत दर्ज की गयी, जिसका इन्द्राज नकल जी0डी0 कायमी मुकदमा में किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना श्री जितेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक को सुपुर्द की गयी। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा दिनांक 21.03.2016 को घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। विवेचना के दौरान संकलित सामग्री के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्तगण विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचन्द, राहुल व जोनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल, सुशील पुत्र जयसिंह एवं रजनीश पुत्र अमरनाथ के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147,148, 149,307,323,452,506 भा0द0सं0 के दण्डनीय अपराध के लिए न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

4. उपरोक्त मु0अ0सं0 104/2016, थाना कांधला, जिला शामली के मामले में प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147,148,149,307,323,452,506 भा0द0सं0 के आधार पर मामले का प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्तगण विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचन्द, राहुल व जोनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल, सुशील पुत्र जयसिंह एवं रजनीश पुत्र अमरनाथ को तलब करने के उपरान्त धारा 207 द0प्र0सं0 का अनुपालन कर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना, जिला शामली द्वारा दिनांक 01.02.2024 को विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किया गया।

5. उपरोक्त मामला सत्र सुपुर्द होने के उपरान्त इस न्यायालय के तत्कालीन जनपद न्यायाधीश, शामली द्वारा दिनांक 30.04.2024 को अभियुक्तगण विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचन्द, राहुल व जोनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल, सुशील पुत्र जयसिंह एवं रजनीश पुत्र अमरनाथ के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 147, 148, 307 सपठित धारा 149, 323 सपठित धारा 149, 452, 506 भा0द0सं0 विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

6. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का विवरण निम्नवत हैः—

ए. मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यः—

अभियोजन साक्षी क्रमांक	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**	**साक्षी द्वारा साबित किए गए प्रपत्र**	**प्रदर्श क्रमांक**
01.	अंकित कुमार	वादी मुकदमा	तहरीर	प्रदर्श क—1
02	राजपाल	—	—	—
03.	अजय कुमार	—	—	
04.	हेड कां0 रामपाल सिंह	लेखक चिक एफ. आई.आर.	चिक एफ.आई.आर नकल जी डी	प्रदर्श क—2 प्रदर्श क—3

			कायमी मुकदमा	
–	–	–	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–4
–	–	–	आरोप पत्र	प्रदर्श क–6

7. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 दिनांक 02.05.2026 को दर्ज किया गया। अपने बयान में उक्त अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01 के साक्ष्य के संबंध में पूछे गए प्रश्न सं01 के उत्तर में कहा कि हमारे विरूद्ध साक्ष्य नहीं दिया, गलत साबित किया जा चुका है। उक्त अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षी पी0डब्लू02 के साक्ष्य के संबंध में पूछे गए प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में कहा कि हमारे विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। उक्त अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षी पी0डब्लू03 के साक्ष्य के संबंध में पूछे गए प्रश्न संख्या3 के उत्तर में कहा कि हमारे विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। उक्त अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षी पी0डब्लू04 के साक्ष्य के संबंध में पूछे गए प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के संबंध में कहा कि गलत साबित किये है। प्रश्न सं0 5 यह कि अभियोजन द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में आरोप पत्र प्रदर्श क–6, सत्र परीक्षण सं0 1236/2016, राज्य बनाम शिवलाल आदि का नक्शा नजरी प्रदर्श क–4, जिनकी औपचारिक सत्यता आपके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी है, के उत्तर में कुछ नहीं कहा है। प्रश्न सं0 6 क्या ओर कुछ कहना है, के उत्तर में उक्त अभियुक्तगण ने कहा कि हमे इस मामले में झूठा फंसाया गया है, हम निर्दोष है।

8. उक्त अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री संजय चौहान व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा वर्तमान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तलबशुदा पत्रावली सत्र परीक्षण सं0 1236/2016, सरकार बनाम शिवलाल आदि पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

निष्कर्ष

10. अभियोजन ने अपने कथानक को साबित करने के लिए कुल 4 साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराये हैं। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01 अंकित कुमार ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि*अब से लगभग नो वर्ष पहले की घटना है, शाम के लगभग सात–आठ बजे थे। मैं घर पर था, तभी हमारे घर के बाहर फायरिंग व शोर शराबे की आवाज सुनाई दी, मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि कुछ लोग आपस में झगडा कर रहे थे। अजय, राजपाल पुत्रगण ताराचंद हमारे मौहल्ले के हैं, इन लोगों ने भी छुट–छटाव का प्रयास किया था। फिर ये लोग ज्यादा भीड इकट्ठा होने पर फायरिंग करते हुए मौके से भाग गये थे और इनके हाथ में लाठी डंडे भी थे। अंधेरा होने के कारण मैंने किसी को नहीं पहचाना था।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *घटना के*

संबंध में एक तहरीर थाने पर दी थी। पत्रावली पर मौजूद तहरीर पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर को शिनाख्त किये, जिसपर पूर्व में ***प्रदर्श क–1*** *डाला जा चुका है। तहरीर साक्षी को पढ़कर सुनायी गयी तो साक्षी ने कहा कि मैंने हाजिर अदालत मुल्जिमान के खिलाफ तहरीर नहीं लिखवायी थी।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *हाजिर अदालत मुल्जिमान विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचंद, सुशील पुत्र जयसिंह, रजनीश पुत्र अमरनाथ व गैर हाजिर मुल्जिमान राहुल व जॉनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल को मैं अच्छी तरह से जानता व पहचानता हूॅ। इन लोगों ने जान से मारने की नियत से हमारे घर में घुसकर लाठी, डंडो व तमंचे से हमला नहीं किया था और न ही जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया था।* इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा इस साक्षी से प्रति परीक्षा की गयी। इस साक्षी को प्रतिपरीक्षा के दौरान उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि *मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, पता नहीं कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *यह कहना गलत है कि दिनांक 21.02.2016 को शाम के 07:00 बजे हाजिर अदालत मुल्जिमान विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचंद, सुशील पुत्र जयसिंह, रजनीश पुत्र अमरनाथ व गैर हाजिर मुल्जिमान राहुल व जॉनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल, समस्त निवासीगण ईस्लामपुर घसौली, थाना कांधला, जिला शामली ने लाठी, डंडो, धारदार हथियार, तमंचे आदि के साथ जान से मारने की नियत से हमारे घर पर आकर कोई हमला किया हो या तमंचे से फायरिंग की हो। अजखुद कहा कि घटना करने वालों को अंधेरा होने के कारण नहीं पहचाना था।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *यह भी कहना गलत है कि इन लोगों ने हमारे घर के अजय व राजपाल पुत्रगण तारांचद पर कोई हमला किया हो या मारपीट करके चोट पहुॅचाई हो। तहरीर मैंने किसी के कहे अनुसार लिखा दी थी, किसने तहरीर बोली थी, मुझे इस समय याद नहीं है। यह कहना भी गलत है कि दिनांक 20.02.2016 को शिवलाल व देवीचंद ने मेरे साथ कोई मारपीट की हो और उपरोक्त मुल्जिमान के साथ पुरानी रंजिश या लडाई झगडा रहा हो।* इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि *हाजिर अदालत मुल्जिमान विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचंद, सुशील पुत्र जयसिंह, रजनीश पुत्र अमरनाथ व गैर हाजिर मुल्जिमान राहुल व जॉनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल मेरे गांव के रहने वाले है। इन्होंने जान से मारने की नियत से फायर नहीं किया था और न ही कोई मारपीट की थी। मेरा गांववालों ने कोरे कागज पर दस्तखत कराये थे मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। घटना के समय अंधेरा था, किन लोगों ने मारपीट की थी, मैं नहीं बता सकता।* इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू01 की मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा तथा बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि जिससे

अभियोजन के कथानक का समर्थन होता हो कि कथित घटना उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गयी है।

11. पी0डब्लू02 राजपाल पुत्र ताराचंद ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *अब से लगभग नौ साढ़े नौ वर्ष पहले की घटना है। हमारे मौहल्ले के राजीव व अंकित के घर पर आकर हाजिर अदालत मुल्जिमान राहुल पुत्र सलेकचंद, राहुल पुत्र सतपाल, रजनीश, सुशील, अजय उर्फ जोनी व गैर हाजिर मुल्जिमान मनीष पुत्र सलोकचंद व विपिन पुत्र राजेश ने मेरे सामने जान से मारने की नियत से न तो कोई फायरिंग की थी और न ही मारपीट की थी।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *मुल्जिमान विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचंद, सुशील पुत्र जयसिंह, रजनीश पुत्र अमरनाथ, राहुल व जॉनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल को मैं अच्छी तरह से जानता व पहचानता हूँ, मेरे गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों ने मेरे सामने कोई घटना कारित नहीं की और न ही मैं घटना के समय मौजूद था और न ही मैंने कोई घटना देखी। घटनावाले दिन मैं अपने घर पर बीमार पडा हुआ था।* इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा इस साक्षी से प्रति परीक्षा की गयी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि *साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, पता नहीं कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।* आगे साक्षी ने कथन किया है कि *यह कहना गलत है कि दिनांक 21.02.2016 को शाम के सात बजे मुल्जिमान विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचंद, सुशील पुत्र जयसिंह, रजनीश पुत्र अमरनाथ, राहुल व जॉनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल, निवासीगण ईस्लामपुर घसौली, थाना कांधला, जिला शामली ने मेरे सामने लाठी, डंडो, धारदार हथियार, तमंचे आदि के साथ जान से मारने की नियत से अंकित पुत्र श्रीपाल के घर पर आकर कोई हमला किया हो या तमंचे से फायरिंग की हो। अजखुद कहा कि घटनावाले दिन मैं बीमार था और घर पर था।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *यह भी कहना गलत है कि मैं घटना के समय अंकित के घर पर मौजूद हूँ और मेरे सामने ही मुल्जिमान ने घटना कारित की हो। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिमान ने मेरे ऊपर भी हमला किया हो।* बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि *हाजिर अदालत मुल्जिमान विपिन पुत्र राजेश, राहुल, मनीष पुत्रगण सलेकचंद, सुशील पुत्र जयसिंह, रजनीश पुत्र अमरनाथ, राहुल व जॉनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल मेरे गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने जान से मारने की नियत से अंकित के घर में घुसकर फायर नहीं किया था, न ही कोई मारपीट की थी और न ही जान से मारने की धमकी दी थी।* इस प्रकार इस साक्षी, जो कि कथित घटना दिनांक को मौके पर नहीं था, की मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा एवं बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि जिससे अभियोजन के

कथानक का समर्थन होता हो कि कथित घटना उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गयी है।

12. पी0डब्लू03 अजय कुमार पुत्र ताराचंद ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *अब से लगभग साढे नो–दस वर्ष पहले की बात है। हमारे मौहल्ले के राजीव व अंकित के घर पर आकर हाजिर अदालत मुल्जिमान राहुल पुत्र सलेकचंद, मनीष पुत्र सलोकचंद, विपिन पुत्र राजेश, रजनीश, सुशील व गैर हाजिर मुल्जिमान राहुल पुत्र सतपाल, अजय उर्फ जोनी ने मेरे सामने जान से मारने की नियत से न तो कोई फायरिंग की थी और न ही मारपीट की थी।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि*मुल्जिमान विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचंद, सुशील पुत्र जयसिंह, रजनीश पुत्र अमरनाथ, राहुल व जॉनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल को मैं अच्छी तरह से जानता व पहचानता हूँ, मेरे गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों ने मेरे सामने कोई घटना कारित नहीं की थी, क्योंकि मैं उस दिन घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, मैं गांव के बाहर था। मैंने कोई घटना देखी।* इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा इस साक्षी से प्रति परीक्षा की गयी। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि *साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, पता नहीं कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *यह कहना गलत है कि दिनांक 21.02.2016 को शाम के सात बजे मुल्जिमान विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचंद, सुशील पुत्र जयसिंह, रजनीश पुत्र अमरनाथ, राहुल व जॉनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल, निवासीगण ईस्लामपुर घसौली, थाना कांधला, जिला शामली ने मेरे सामने लाठी, डंडो, धारदार हथियार, तमंचे आदि के साथ जान से मारने की नियत से अंकित पुत्र श्रीपाल के घर पर आकर कोई हमला किया हो या तमंचे से फायरिंग की हो। अजखुद कहा कि घटनावाले दिन मैं गांव से बाहर था।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *यह कहना गलत है कि मैं घटना के समय मौजूद रहा हूँ, घटना देखी हो और घटना के बारे में जानबूझकर सच बात न बता रहा हूँ।* बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि *मुल्जिमान विपिन पुत्र राजेश, राहुल, मनीष पुत्रगण सलेकचंद, सुशील पुत्र जयसिंह, रजनीश पुत्र अमरनाथ, राहुल व जॉनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल मेरे गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने जान से मारने की नियत से अंकित के घर में घुसकर मेरे सामने फायर नहीं किया था, न ही कोई मारपीट की थी और न ही जान से मारने की धमकी दी थी।* इस प्रकार उक्त साक्षी, जो कि कथित घटना दिनांक को मौके पर नहीं था, की मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा एवं बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि जिससे अभियोजन के कथानक का समर्थन होता हो कि कथित घटना उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गयी है।

13. पी0डब्लू04 हेड कांस्टेबल रामपाल सिंह, सेवानिवृत्त ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *दिनांक 21.02.2016 को मैं थाना कांधला पर बतौर कांस्टेबल क्लर्क तैनात था। उस दिन मेरे दफ्तर शाम के आठ बजे से सुबह के आठ बजे तक डियूटी थी। उस दिन वादी अंकित पुत्र श्रीपाल, निवासी ग्राम ईस्लामपुर घसौली मय थाना हाजिर आकर एक किता तहरीर हिंदी लिखित दाखिल की, जिसके आधार पर मैंने थाने में मु0अ0सं0 104/2016 धारा 147, 148, 149, 452, 307, 323, 506 भा0द0सं0 बनाम शिवलाल आदि दस नफर के विरूद्ध लिखा गया था, जिसका खुलासा रोजनामचा आम जी0डी0 नंबर–42 समय 21:45 बजे दर्ज किया गया। पत्रावली पर कायमी रोजनामचा की कॉर्बन कॉपी मेरे हस्ताक्षर सहित अंकित है तथा एफ0आई0आर0 व जी0डी0 को आज प्रमाणित करता हूँ, जो मेरे हस्तलेख में है। एफ0आई0आर0 पर* ***प्रदर्श क–2*** *व जी0डी0 पर* ***प्रदर्श क–3*** *पूर्व में डाला जा चुका है।* बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि *थाना कांधला पर मेरी तैनाती कब से कब तक रही मुझे ध्यान नहीं है। शिकायती प्रार्थना पत्र वादी ने मुझे आकर दी थी। मैंने एफ0आई0आर0 मौजूदा थाना प्रभारी मौखिक पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया था। लिखित में आदेश नहीं दिया गया था। वादी ने प्रार्थना पत्र मेरे सामने नहीं लिखा था, बाहर से लिखकर लाया था। मैंने एफ0आई0आर0 दर्ज करते ही उसको जी0डी0 में इंद्रार्ज कर दिया था। वादी शिकायती प्रार्थना पत्र 21:45 बजे पर मेरे सामने लाया था।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *एफ0आई0आर0 दर्ज होने के वादी के प्राप्ति के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है। कायमी जी0डी0 मुकदमे के वादी के हस्ताक्षर नहीं होता है। एफ0 आई0 आर0 दर्ज के बाद क्षेत्राधिकारी के पास पेशी में भेजी जाती। एफ0आई0आर0 सी0ओ0 के पास भेजने का क्रमांक नंबर नहीं है।* इस साक्षी ने वादी मुकदमा की तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा जी.डी. में इन्द्राज किये जाने की पुष्टि की है। यह औपचारिक साक्षी है।

14. अन्य कोई साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है। कथित घटना में वादी मुकदमा अंकित एवं राजीव को घायल होना बताया गया है, जिसके सम्बंध में पी0डब्लू01 वादी मुकदमा अंकित के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, परन्तु इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि **उपरोक्त अभियुक्तगण ने जान से मारने की नियत से हमारे घर में घुसकर लाठी, डंडो व तमंचे से हमला नहीं किया था और न ही जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया था।** इसी प्रकार शेष साक्षीगण पी0डब्लू02 एवं पी0डब्लू03 ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और इन दोनों साक्षियों द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि उनके सामने कथित घटना घ ाटित नहीं हुई। जहॉ तक वादी/चुटैल को मारपीट कर घायल किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित चुटैल की कोई आहात आख्या पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। साक्षी पी0डब्लू04 हेड कांस्टेबल रामपाल सिंह,

सेवानिवृत्त, जिसके द्वारा तलबशुदा पत्रावली सत्र परीक्षण सं0 1236/2016, राज्य बनाम शिवलाल आदि के मामले में पूर्व में चिक एफ.आई.आर. एवं नकल जी.डी. कायमी मुकदमा को **प्रदर्श क–2** व **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया गया है, औपचारिक साक्षी है। यद्य पि यह सत्य है कि बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की यर्थाथता को स्वीकार किया गया है, परन्तु यदि घटना के वादी व चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य द्वारा घटना समर्थित नहीं है, तो मात्र अभियोजन प्रपत्रों की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि कथित घटना उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी और उनके द्वारा घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से लाठी, डन्डों व धारदार हथियार से मारपीट करने एवं तमंचे से फायर किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं होते हैं।

15. वादी मुकदमा अंकित कुमार ने घटना की तहरीर के सम्बंध में यह कथन किया है कि घटना के सम्बन्ध में एक तहरीर पर हस्ताक्षर करके थाना पर दी गयी थी, जिसके आधार पर मामले में कार्यवाही हुई थी। तलबशुदा पत्रावली सत्र परीक्षण सं0 1236/2016, राज्य बनाम शिवलाल आदि के मामले में पूर्व में साक्षी ने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर शिनाख्त करते हुए उसे **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है, परन्तु इस साक्षी ने तहरीर के सम्बंध में कथन किया है कि मैंने हाजिर अदालत मुलजिमान के विरूद्ध तहरीर नहीं लिखवायी थी। आगे कथन किया है कि तहरीर मैंने किसी के कहे अनुसार लिखा दी थी, किसने तहरीर बोली थी, मुझे इस समय याद नहीं है। उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा पी.डब्लू.1 अंकित कुमार द्वारा वर्तामान मामले में तहरीर प्रदर्श क–1 पर अपने हस्ताक्षर होने की शिनाख्त की गयी है। अतः उपरोक्त अभियोजन साक्षी अंकित कुमार द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि या तो इस साक्षी द्वारा घटना की बाबत अभियुक्तगण के विरूद्ध, जो तहरीर प्रदर्श क–1 दी गई है, वह असत्य है अथवा इस साक्षी द्वारा न्यायालय में, जो घटना के सम्बंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, वह झूठा है। इस प्रकार वादी मुकदमा पी.डब्लू.1 अंकित कुमार ने न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ मिथ्या साक्ष्य दिया है और यह न्यायालय इस मत का है कि न्यायहित में वादी मुकदमा पी.डब्लू.1 अंकित कुमार का न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के लिए संक्षिप्त विचारण धारा 344 दं0प्र0सं0/383 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत किया जाए। अतः वादी मुकदमा अभियोजन साक्षी पी.डब्लू01 अंकित कुमार के विरूद्ध धारा 344 दं0प्र0सं0/383 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है।

16. उक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि वादी मुकदमा, चुटैल एवं अन्य किसी भी साक्षीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो। अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये

साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि कथित घटना के सम्बंध में युक्तियुक्त सन्देह से परे नहीं होती है और उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचन्द, राहुल व जोनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल, सुशील पुत्र जयसिंह एवं रजनीश पुत्र अमरनाथ के विरूद्ध कोई भी आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचन्द, राहुल व जोनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल, सुशील पुत्र जयसिंह एवं रजनीश पुत्र अमरनाथ, सत्र परीक्षण संख्या 127/2024 के मामले में आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 147, 148, 307/149, 323/149, 452, 506 भा0द0सं0 से संदेह से परे साबित न होने के कारण दोषमुक्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचन्द, राहुल व जोनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल, सुशील पुत्र जयसिंह एवं रजनीश पुत्र अमरनाथ को सत्र परीक्षण सं0 127/2024, मु0अ0सं0 104/2016, राज्य प्रति विपिन आदि के मामले में आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 147, 148, 307/149, 323/149, 452, 506 भा0द0सं0 से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण विपिन पुत्र राजेश, राहुल व मनीष पुत्रगण सलेकचन्द, राहुल व जोनी उर्फ अजय पुत्रगण अमरा उर्फ सतपाल, सुशील पुत्र जयसिंह एवं रजनीश पुत्र अमरनाथ उक्त मामलें में जमानत पर हैं, उनके बन्धपत्र निरस्त कर प्रतिभू को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 अंकित कुमार के विरूद्ध धारा 344 दं0प्र0 सं0/383 बी.एन.एस.एस. के तहत पृथक से **प्रकीर्ण वाद दर्ज** कर वादी मुकदमा अभियोजन साक्षी–1 अंकित कुमार के विरूद्ध धारा 344 दं0प्र0सं0/383 बी.एन.एस.एस. के तहत दिनांक 30.07.2026 नियत कर नोटिस जारी हो। पंजीकृत किए जाने वाली प्रकीर्ण वाद की पत्रावली में इस निर्णय की एक प्रति, तहरीर **प्रदर्श क–1** की एक प्रति तथा उपरोक्त साक्षी के बतौर साक्षी पी0डब्लू01 मौखिक साक्ष्य की एक प्रति रखी जावें। तद्नुसार सत्र लिपिक आवश्यक अनुपालन करे।

दिनांक–23.06.2026

(इन्द्र प्रीत सिंह जोश)
सत्र न्यायाधीश,
शामली।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–23.06.2026

(इन्द्र प्रीत सिंह जोश)
सत्र न्यायाधीश,
शामली।